

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन
छत्तीसगढ़, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21/08/2017

प्रति,

मुख्य अभियंता,
हसदेव कछार,
जल संसाधन विभाग,
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

विषय :- वित्तीय अधिकार पुस्तिका 1995 भाग-II की स.क्र. 18 में योजना के प्राक्कलन व डिजाइन से संबंधित है व स.क्र. 13 तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रावधानित कंडिका के संबंध में।

संदर्भ :- आपका ज्ञाप क्र.-सा-1-4 का-2017/1476 बिलासपुर, दिनांक 14.07.2017 C/73
===00===

विषयांतर्गत उपरोक्त संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि "वित्तीय अधिकार पुस्तिका" 1995 भाग-II के स.क्र. 14 से 22 तक प्रत्यायोजित अधिकार सिंचाई संरचनाओं के रूपांकन एवं प्राक्कलन से संबंधित है तथा स.क्र. 23 में नये कार्यों तथा डिपॉजिट मद के कार्यों की तकनीकी स्वीकृति हेतु वित्तीय अधिकारों से संबंधित है। नई योजनाओं के शीर्ष अथवा नहर कार्यों के रूपांकन संबंधी स्वीकृतियों स.क्र. 14 से 22 तक प्रदत्त अधिकारों के तहत तथा इन कार्यों की तकनीकी स्वीकृतियों स.क्र. 23 में दर्शित वित्तीय सीमा के अनुसार प्रदान की जायेगी। तदनुसार वित्तीय अधिकार पुस्तिका 1995 भाग-II तथा पश्चात्वर्ती संशोधन में प्रदत्त अधिकार व्यवहारित होंगे।

सहपत्र :- शून्य।

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

पृष्ठां. क्र. 424294/छ.ग./2003/भाग-1/ 12903 रायपुर, दिनांक 21/08/2017
प्रतिलिपि :-

1. मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
2. मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
3. मुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर।
4. मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, अम्बिकापुर।

को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया उपरोक्तानुसार वित्तीय अधिकार व्यवहारित करना सुनिश्चित करें।

सहपत्र :- शून्य।

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन
छत्तीसगढ़, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13/10/2017

प्रति,

मुख्य अभियंता,

- 1 महानदी परियोजना, रायपुर।
- 2 महानदी गोदावरी कछार, रायपुर।
- 3 हसदेव कछार, बिलासपुर।
- 4 हसदेव गंगा कछार, अम्बिकापुर।
- 5 मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, बिलासपुर।

विषय :- वित्तीय अधिकार पुस्तिका 1995 भाग-II की स.क्र. 18 में योजना के प्राक्कलन व डिजाईन से संबंधित है व स.क्र. 13 तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रावधानित कंडिका के संबंध में।

संदर्भ :- कार्यालयीन पत्र क्र. 424294/छ.ग./2003/भाग-1/12902 दि. 21.08.2017
===00=== 99

उपरोक्त विषय में इस कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा जारी निर्देश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

सहपत्र :- शून्य।

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर
13/10/17

पृष्ठां. क्र. 424294/छ.ग./2003/भाग-1/ 15731 रायपुर, दिनांक 13/10/2017
प्रतिलिपि :-

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग, रायपुर।
2. मुख्य अभियंता (प्रबोधन) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

सहपत्र :- शून्य।

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर
13/10/17